सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 12/2018

1. सत्यनारायण
2. रामदयाल
3. गीताबाई
4. मथरी बाई बेवा

} पिसरान सीताराम जाति माली निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां

5. जगन्नाथी बाई पुत्री गिरधारी पत्नि छोटूलाल जाति माली निवासी मांगरोल बाई पास रोड बाबजी नगर बारां

....प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. बसन्ती बाई बेवा रतनलाल जाति माली निवासी, भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

वाद वास्ते घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील प्रार्थीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
वकील अप्रार्थीगण : श्री सुनिल कुमार गौड
दायरा दिनांकः 08.05.2018 निर्णय दिनांक : 05.10.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से हैः–

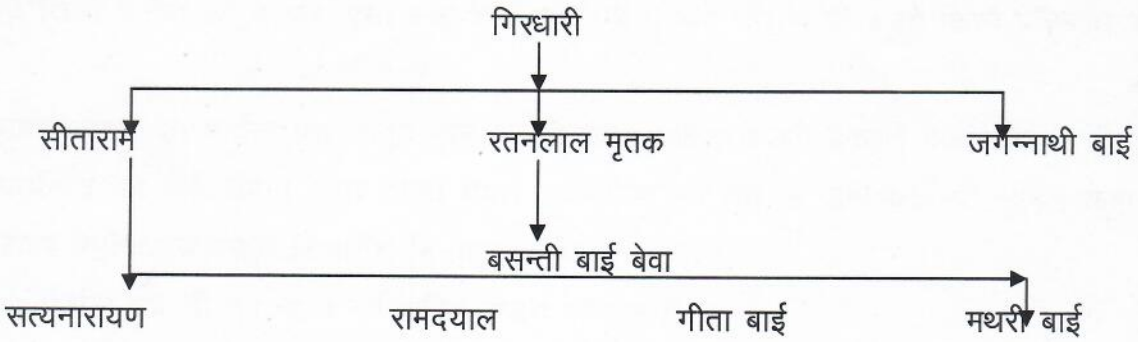

प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 1 के शामलाती खाते की खाता संख्या 337 ग्राम भटवाडा में खसरा नं0 87/1854 रकबा 1.18 है0 आराजी दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 338 ग्राम भटवाडा में खसरा नं0 426 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 430/1592 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 553 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 554 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 555 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 556 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 581 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 582 रकबा 0.10 है0 कुल किता 8 रकबा 0.54 है0 आराजी दर्ज है। रतनलाल जो कि प्रार्थीगण के काका थे, लाऔलाद फौत हो चुके है, उनकी मृत्यु 1 साल पूर्व ग्राम भटवाडा में प्रार्थी नं0 2 के घर पर

तथा रतन लाल जी की मृत्यु के बाद समस्त परिवार ने और अप्रार्थी नं0 1 की इच्छा से रतन लालजी की पगडी प्रार्थी नं0 2 रामदयाल के बांधी गई। स्व0 रतनलाल की आराजी को प्रार्थी नं0 2 ही उनकी मौजूदगी में काश्त करने लगा था, और आज भी काश्त कर रहा है। कुछ दिनो से अप्रार्थी नं0 1 कुछ व्यक्तियों के बहकावें में आकर रतन लालजी के हिस्से की आराजी को बैचान चाहती है। जिसका कि उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। क्याकि रतनलाल की आराजी में समस्त प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है। और जब तक पूर्ण रूपेण प्रार्थीगण के मध्य रतनलाल जी की आराजी का बंटवारा नही हो जाता बसन्ती बाई आराजी को नही बैचा सकती। लेकिन अप्रार्थी नं0 1 आराजी को बैचने पर आमादा है। और प्रार्थीगण को धमकियां दे रही है कि मै आराजी को बैच कर रहुंगी। अप्रार्थीया नं0 1 के उक्त कृत्य से प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि अप्रार्थीया नं0 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावें कि वह आराजी का बैचान न करें जब तक कि प्रार्थीगण के मध्य व अप्रार्थीय के साथ रतन लाल जी कि आराजी को लेकर कोई विधिवत बंटवारा नही हो जाता। यदि अप्रार्थीया नं0 1 ने रतनलाल के हिस्से की आराजी को बैच दिया तो प्रार्थीगण को अत्याधिक क्षति होगी जिसकी भरपायी भविष्य में सम्भव नही हो पायेगा। अतः प्रार्थना है कि दौराने वाद प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी नं0 1 के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावे कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी खाता संख्या 337 ग्राम भटवाडा में खसरा नं0 87/1854 रकबा 1.18 है0 आराजी दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 338 ग्राम भटवाडा में खसरा नं0 426 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 430/1592 रकबा 0.08 है, खसरा नं0 553 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 554 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 555 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 556 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 581 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 582 रकबा 0.10 है0 कुल किता 8 रकबा 0.54 है0, का बैचान रहन आदि किसी व्यक्ति को न करें, ऐसा कोई कार्य स्वयं भी न करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 08.05.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार गौड ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार हैः–

01. प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 पारिवारिक सजरा स्वीकार है।
02. प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 पारिवारिक सजरा स्वीकार है।
03. प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में रतनलाल की मृत्यु होना स्वीकार है किन्तु शेष मद हाजा असत्य होने से अस्वीकार है उनकी उनकी मृत्यु प्रार्थी क्रम 2 के घर होना तथा मृत्यु के बाद अप्रार्थी क्रम 1 उत्तरदाता की इच्छा से पगडी बांधना भी अस्वीकार है।

04. प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 असत्य कथन की गई है जो अस्वीकार है रतनलाल जी की आराजी को उनके जीवनकाल से प्रार्थी कम 2 द्वारा काश्त करना तथा वर्तमान में भी काश्त करना मिथ्या कथन किया गया है जो अस्वीकार है।

05. प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 असत्य है अतः अस्वीकार है।

06. प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है और कथन है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीया कम 1 के हिस्से अधिपत्य व खातेदारी की आराजीयात के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने को कोई अधिकार नही है। और न ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति होगी।

07. प्रार्थना पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है।

अप्रार्थीगण ने विशेष आपत्तियों में कथन किया किः– वाद ग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल की खाता संख्या 337 खसरा नं0 87/1854 रकबा 1.18 है0 में अप्रार्थीया कम 1 उत्तरदाता का 14/25 वा हिस्सा एवं खाता संख्या 338 किता 8 रकबा 0.54 है0 मुताबिक मद नं0 2 में अप्रार्थीया का हिस्सा 2/5 खातेदारी में दर्ज है। जिसकी वह एक मात्र मालिक व स्वामी है तथा काबिज काश्त है। अप्रार्थीया वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से में खातेदारी कृषक के रूप में दर्ज है एवं खातेदार मालिक है तथा अपने पति के जीवनकाल से वादग्रस्त आराजीयात में बंटवारा कर रखा है तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज है रतनलाल के हिस्से में जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नही है। एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड दोहराया है जो कि अपने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किए है। वकील प्रार्थीगण का मुख्य तर्क यह रहा है कि प्रार्थीगण 1 ता 3 के काका का स्वर्गवास रतनलाल लाऔलाद फौत हुए थें उनकी मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी कम 1 की इच्छा से व परिवार की सहमति से समस्त ग्रामवासीयों के सामने मृत्यु के बाद सभी कार्य दाह संस्कार पगडी बांधना हरिद्वार जाकर पींड दान आदि करना प्रार्थी कम 2 द्वारा किये गये थे। और अप्रार्थी कम 1 की इच्छा से किये थे।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि कुछ व्यक्तियों के बहकावे में आकर अप्रार्थीया कम 1 आराजी को रहन बेचान करना चाहती है। जबकि स्वयं काश्त करें तो प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। यदि आराजी संयुक्त खातेदारी की है। जिसमें इंच–इंच भूमि पर सभी सहखातेदारो का हिस्सा बराबर होता है। यदि अप्रार्थीया कम 1 ने आराजी का रहन या बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को बहुत ज्यादा छति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में नही हो पावेगी। यह भी बहस में बताया कि प्रार्थीगण ने वाद घोषणा का पेश किया है। जिसमें तनकीयात कायम होने के पश्चात साक्ष्य व दस्तावेज में प्रार्थीगण को अपना वाद साबित करना है। यदि आराजी का रहन या बेचान हो जाता है तो प्रार्थीगण का वाद करना ही व्यर्थ हो जावेगा। और अपनी बहस में प्रार्थीगण ने प्रथम दृष्टया के सूविधा का संतुलन अपने पक्ष में बताया

मूल वाद के निर्णय तक रहन बैचान ना करें। अप्रार्थी कम 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने की प्रार्थना की।

वकील अप्रार्थीया ने वकील प्रार्थीगण की बहस का खंडन करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीया कम स्वतंत्र सहखातेदार है। तथा अपने हिस्से 2/5 की आराजी को किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करें उसको पाबंद नही कराया जा सकता। साथ ही बहस में निवेदन किया कि रतनलाल की पगडी किसी के नही बांधी गयी। उन्होने रामदयाल प्रार्थी कम 2 को दत्तक पुत्र नही माना है। और प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज करने की प्रार्थना की।

यह उभयपक्ष का स्वीकार्य तथ्य है कि आराजी खाता संख्या 337 खाता संख्या 338 ग्राम भटवाडा तह0 मांगरोल की आराजी प्राथीगण व अप्रार्थीया कम 1 के संयुक्त खाते में दर्ज है। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा वाद पत्र में यह प्रार्थना की है कि अप्रार्थीया कम 2 के हिस्से में वादीगण का नाम दर्ज किया जावें। वाद घोषणा का है यदि अप्रार्थीया कम 1 को रहन बैचान पर जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद नही किया गया। तो वादीगण अपने वाद को साबित नही कर पायेंगे। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण भी सहखातेदार जमाबंदी में दर्ज हो रहे है। अतः प्रथम दृष्टया केश भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण ने अपने अभीवचनो में कथन किया है कि अप्रार्थी कम 1 काश्त करने में प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। ऐसी स्थिति में मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीया कम 1 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में अंकित आराजी खाता संख्या 337 व 338 वाके ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल को अप्रार्थीया कम 1 रहन बैचान ना करें रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सु